(2)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2021/
Manual no- 83/2021

(Bank Case)

"असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय दॉरूबी, दसवीं मंजिल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, वेस्ट मुम्बई–400028 तथा शाखा कार्यालय सेठी चैम्बर्स, द्वितीय तल, प्लाट नम्बर 2, डीडीए शॉपिंग सेन्टर, मोर लैण्ड, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060 जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री निक्की कुमार

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री चन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र श्री श्रवण लाल सोनी
   निवासी– मं. नं. 300–बी, महावीर नगर–1, कोटा (राज0) 324005 (ऋणी)
2. श्रीमती रमा कुंवर बाई पत्नी श्री श्रवण लाल
   निवासी– मं. नं. 300–बी, महावीर नगर–1, कोटा (राज0) 324005 (सहऋणी)
3. श्रीमती पूनम सोनी पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश सोनी
   निवासी– मं. नं. 300–बी, महावीर नगर–1, कोटा (राज0) 324005

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण औरपुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 27-10-2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय दॉरूबी, दसवीं मंजिल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, वेस्ट मुम्बई तथा शाखा कार्यालय सेठी चैम्बर्स, द्वितीय तल, प्लाट नम्बर 2, डीडीए शॉपिंग सेन्टर, मोर लैण्ड, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली से अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.02.2007 को 2,50,000/–(अक्षरेः रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक **अचल सम्पत्ति मकान नं. 300–बी, महावीर नगर--1, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 462.5 वर्ग फिट है। जोकि चन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र श्री श्रवण लाल सोनी के स्वामित्व की है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– प्लॉट नं. 306, दक्षिण में– प्लॉट नं. 299, पूर्व में– फुटपाथ, पश्चिम में– अन्य भूमि स्थित है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.02.2013 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 30,31,682.55 रूपये (अक्षरेः– तीस लाख इगतीस हजार छः सौ बियासी रूपये व पचपन पैसे मात्र) दिनांक 17.05.2018 तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था ने दिनांक 18.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति मकान नं. 300–बी, महावीर नगर–1, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 462.5 वर्ग फिट है। जोंकि चन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र श्री श्रवण लाल सोनी के स्वामित्व की है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– प्लॉट नं. 306, दक्षिण में– प्लॉट नं. 299, पूर्व में– फुटपाथ, पश्चिम में– अन्य भूमि स्थित है,** का भौतिक कब्जा वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 27.10.2021को सुनाया गया ।

27/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)